



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2017/ज्येष्ठ 12, 1939

No. 448]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/JYAISTHA 12, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

स.का.नि. 547(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बीज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2017 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में :—**

- i. खंड 2 के उपखंड (ग) में शब्दों के स्थान पर "इसके अंतर्गत व्यवहारी का कोई अभिकर्ता भी है", शब्द "इसके अंतर्गत" ई-विपणन, व्यवहारी का अभिकर्ता और "ई-विपणन सम्मिलित है," शब्द रखे जाएंगे।
- ii. खंड 4 में "निर्यात या आयात" शब्दों के स्थान पर "निर्यात, आयात अथवा ई-विपणन" शब्द रखे जाएंगे।

iii. प्रारूप 'ख' में, आरंभिक पैरा में "आयात" शब्द के पश्चात् "ई-विपणन" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 11-8/2017एसडी IV]

बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) सा.का.नि. 932 तारीख 30 दिसम्बर, 1983 के अधीन प्रकाशित हुआ था।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

### ORDER

New Delhi, the 2nd June, 2017

**G.S.R. 547(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Seeds (Control) Order, 1983, namely:—

#### 1. Short title and commencement –

- (1) This Order may be called the Seeds (Control) Amendment Order, 2017.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

#### 2. In the Seeds (Control) Order, 1983:—

- (i) in clause 2, in sub-clause (c), for the words "includes as agent of a dealer", the words "includes e-marketeer, an agent of a dealer and e-marketeer" shall be substituted;
- (ii) in clause 4, for the words "exporting or importing", the words "exporting, importing or e-marketing" shall be substituted;
- (iii) in Form 'B', in the opening paragraph, after the word "Import", the word "e-market" shall be inserted.

[F. No. 11-8/2017-SD.IV]

B. RAJENDER, Jt. Secy.

**Note :** The Seeds (Control) Order, 1983 was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 932(E), dated the 30<sup>th</sup> December, 1983.